

## न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 34/2021 अपील (GCMS/2021/40)

पंजीयन दिनांक - 02.03.2021

निर्णय दिनांक - 21.03.2022

1. श्री सोहनलाल पिता श्री उदयलाल सुथार, निवासी गांव नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
2. श्री बालूसिंह पिता श्री वनसिंह चन्दाणा, निवासी गांव पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
3. श्री नवलसिंह पिता श्री हीरसिंह चन्दाणा, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

-अपीलार्थी

बनाम

1. फिरोज खान पिता अजीज खान, निवासी गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा जिला उदयपुर।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहस:-

1. श्री कमलेश चौहान - वकील अपीलार्थी
2. मो.शरीफ छीपा - वकील प्रत्यर्थी-1
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक - वकील प्रत्यर्थी-2

प्रकरण संख्या - 10/2022 अपील (GCMS/2022/12)

पंजीयन दिनांक - 01.02.2022

निर्णय दिनांक - 21.03.2022

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा जिला उदयपुर।

-अपीलार्थी

बनाम

1. फिरोज खान पिता अजीज खान, निवासी गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहस:-

1. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक - वकील अपीलार्थी
2. लिखित बहस प्राप्त - प्रत्यर्थी

प्रकरण संख्या-89/2017, बउनवानी फिरोज खान बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2018 के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

## निर्णय

दिनांक 21.03.2022

उक्त दोनों अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा द्वारा प्रकरण संख्या-89/2017, बउनवानी फिरोज खान बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2018 के विरुद्ध पेश की गई है। दोनों अपील में विवाद का बिन्दु एवं अपील अधीन आदेश समान होने से दोनों अपील का निस्तारण इस एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों पर रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपीलों के प्रत्यर्था-1 फिरोज खान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा-88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रस्तुत किया। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपटित धारा 151 सिप्रसं मय प्रार्थना पत्र धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 किया। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपटित धारा 151 सिप्रसं को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया, जिसके अनुसरण में प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का रिकॉर्ड पर लिया गया जिसके द्वारा फिरोज खान द्वारा निवेदन किया कि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा गोगुन्दा पटवार क्षेत्र गोगुन्दा में स्थित है, जिसके साबिक आराजी नम्बर 1417 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा था, जिसके नये नम्बर 1890, 1893, 1894, 1895 कुल रकबा 0.5500 हैक्टेयर भूमि उसके परिवार की थी व हाल आराजी नम्बर 1890 में 0.0700 हैक्टेयर भूमि अधिक जोड़ दी गई जो पास के आराजी नम्बर 1889 के भू-भाग में से 1890 में मिला दिया जो भू-प्रबन्धक विभाग की गलती व लापरवाही से 1889 के रकबे में से 0.0700 हैक्टेयर भूमि आराजी नम्बर 1890 में मिला दिये जाने से वास्तविक रकबे 0.1800 हैक्टेयर की बजाय 0.2500 हैक्टेयर हो गया है, जो भू-प्रबन्ध विभाग की गलती से हुआ है, जिससे आराजी नम्बर 1895 में से बनने वाला रकबा उसके खाते नहीं किया। इसलिए साबिक आराजी नम्बर 1417 का कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा परिवर्तन रकबा 0.5500 हैक्टेयर बनता है, उसकी तुलना में उसके खाते आराजी नम्बर 1890 रकबा 0.1800, 1893 रकबा 0.1200, 1894 रकबा 0.0150 व 1895 रकबा 0.1900 हैक्टेयर रोड़ में अवाप्त कुल रकबा 0.5050 हैक्टेयर भूमि ही दर्ज हुई, जिससे उक्त आराजी नम्बर में से 0.0450 हैक्टेयर भूमि उसके नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। उसके भौतिक रूप से भी उक्त रकबे 0.0450 हैक्टेयर भूमि पर उसका निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। अतः उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी नम्बर 1895 रकबा 0.4700 हैक्टेयर भूमि में उसकी आराजी भूमि का रकबा 0.1900 हैक्टेयर अवाप्त के बजाय रकबा 0.2350 हैक्टेयर शामिल कर दिया, जिससे अधिक किये गये अवाप्त रकबा 0.0450 हैक्टेयर भूमि उसके नाम अंकित कराये जाने आवश्यक हैं।

- उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 22.02.2018 पारित किया कि “प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की आराजी के रकबे में से 0.0450 है. भूमि अवाप्ति में ज्यादा दर्ज कर दी गई, जिस प्रार्थी का बिज होकर उपयोग-उपभोग रकता चला आ रहा है। पेरकार सरकार द्वारा भी अपने जवाब में अंकित किया है कि उक्त रकबा 0.0450 है. भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना उचित है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एवं पेरकार सरकार के जवाब के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा की आराजी नम्बर 1895 रकबा 0.4700 है. भूमि में से 0.0450 है. भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।”

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2018 से व्यथित होकर प्रथम अपील संख्या-34/2021 के अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 02.03.2021 को प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जा.दी. पृथक से प्रस्तुत किया गया जिन पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दिनांक 02.03.2021 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

इसी प्रकार द्वितीय अपील संख्या 10/2022 के अपीलार्थी तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा दिनांक 28.01.2022 को अपील प्रस्तुत की गई जिसके साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का पेश किया गया। प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर निर्णय आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी किया गया।

वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 28.02.2022 को सुनी गई। अधिवक्ता प्रत्यर्थी और अधिवक्ता अपीलार्थीगण श्री सोहनलाल व अन्य द्वारा निर्णय से पूर्व लिखित बहस पेश करने का कथन किया। अधिवक्ता कमलेश चौहान द्वारा अपीलार्थी श्री सोहनलाल व अन्य की ओर से एवं अधिवक्ता मोहम्मद शरीफ छीपा द्वारा प्रत्यर्थी श्री फिरोज की ओर से लिखित बहस/जवाब दिनांक 03.03.2022 को प्रस्तुत किये गये।

विद्वान वकील अपीलार्थी (अपील संख्या 34/2021) ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौखिक एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी-1 द्वारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत घोषणा व निषेधाज्ञा के वाद को लेंड रेवेन्यु एक्ट की धारा 136 के तहत संशोधित कर निर्णय दिनांक 22.02.2018 को पारित किया गया है जबकि उक्त मामले में धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी-2 जो विपक्षी था, उसके द्वारा जवाब दावा ही प्रस्तुत नहीं किया गया, न राजस्व रेकॉर्ड से संबंधित कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत किये गये, न ही बहस की गई और अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी-1 की एकतरफा बहस सुनकर पटवारी को ही जवाब मानते हुए जवाब के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को सारी स्थिति से संतुष्ट होने के व

राजस्व रेकॉर्ड को देखकर निर्णय पारित करना चाहिये था। प्रत्यर्थी-1 द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किये कि ग्राम गोगुन्दा की आराजी संख्या 1417 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा के हाल आराजी नम्बर 1890, 1893, 1894, 1895 कुल रकबा 0.5500 हैक्टेयर बने जबकि भू-प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्र के अनुसार साबिक आराजी नम्बर 1417 के हाल आराजी नम्बर 1890 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, 1893 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, 1894 रकबा 0.0150 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 1895 रकबा 0.4700 हैक्टेयर कुल कित्ता 4 रकबा 0.8500 हैक्टेयर बने। साबिक आराजी नम्बर 1417 के जो हाल नम्बर बने है, उसमें से आराजी नम्बर 1890 का रकबा 0.1250 हैक्टेयर और आराजी नम्बर 1893 का रकबा 0.0850 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 1895 का कुल रकबा 0.4700 हैक्टेयर सड़क के लिये अवाप्त कर लिया गया और उक्त अवाप्तशुदा रकबे के आराजी नम्बर 1890/2 रकबा 0.1250 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1893/1 रकबा 0.0850 हैक्टेयर राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली व आराजी नम्बर 1895 रकबा 0.4700 हैक्टेयर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ-सड़क के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किये गये और अवाप्ति के बाद आराजी नम्बर 1890 का बचा रकबा 0.1250 हैक्टेयर के भी दो टुकड़े होकर आराजी नम्बर 1890 रकबा 0.0600 व आराजी नम्बर 1890/1 रकबा 0.0650 हैक्टेयर अवस्थित है, इसी प्रकार आराजी नम्बर 1890, 1890/1 एवं 1893 अन्य लोगों को विक्रय हो जाने से उनके नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हुआ। उक्त सारे तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी-1 के कथनों पर विश्वास करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया जो काबिल निरस्त के है। पटवारी रिपोर्ट प्रत्यर्थी-1 के कहने से तैयार की गई। उक्त आदेश से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फिरोज खान को आराजी नम्बर 1895 में से 0.0450 हैक्टेयर भूमि दे दी गई। रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा आराजी नम्बर 1890 में पास में स्थित आराजी नम्बर 1889 का 0.0700 हैक्टेयर रकबा अधिक दर्ज होने का कथन किया गया, जिससे आराजी नम्बर 1889 के खातेदार उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी संख्या 1889 के खातेदारों को न तो पक्षकार बनाया, न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया, जिससे पक्षकारों के कुसंयोजन के आधार पर प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रस्तुत वाद ही निरस्त योग्य था। जब अधीनस्थ न्यायालय समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था, उस वक्त विवादित भूमि सड़क के लिये अवाप्त हो चुकी थी और शेष भूमि अन्य को विक्रय हो चुकी थी, उसके बाद प्रत्यर्थी-1 के मालिकाना हक की शेष कोई भूमि नहीं बची थी। साबिक आराजी संख्या 1417 जो राजस्व रेकॉर्ड में मोहम्मद याकूब खान के नाम 3/4 हक व हिस्से से व अजीत खान के नाम 1/4 हिस्से से दर्ज थी। अजीज खान प्रत्यर्थी-1 के पिता थे ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी-1 के साथ याकूब खां जिसका 3/4 हिस्सा था वह या उसके वारिसान भी उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे, परन्तु उन्हें नहीं सुना व पक्षकार बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवाप्ति के सम्बन्ध में न तो कोई रेकॉर्ड पेश किया और नही उसे साबित कराया गया। आराजी नम्बर 1895 रकबा 0.4700 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सड़क के रूप में दर्ज होकर सड़क के काम में ही आ रही थी और सड़क व सार्वजनिक उपयोग में आ रही भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा-16 के तहत दिये ही नहीं जा सकते है। सड़क पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता है। आलौच्य निर्णय अपीलार्थी के परोक्ष पारित किया गया, जिससे उसे निर्णय की जानकारी ससमय नहीं

हो सकी, अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने बाबत अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पोंडेंट संख्या 1 के हक में जो भूमि दर्ज करने का आदेश दिया गया है, वह अपीलार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 1896, 1897, 1898, 1899, 1912 के बिल्कुल सटमा स्थित है और रेस्पोंडेंट संख्या 1 को उक्त भूमि दे दिये जाने से अपीलार्थी का अपनी भूमि से सड़क पर आने जाने का जो रास्ता है, वह भी समाप्त हो रहा है। उक्त निर्णय से अपीलार्थी के हक व हित प्रभावित हो रहे हैं, जिससे अपीलार्थी द्वारा आलौच्य निर्णय की अपील न्यायालय आप में प्रस्तुत करना आवश्यक होने से प्रश्नगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-96 जादी के प्रस्तुत की गई। अतः उपरोक्त स्थिति के मध्यनजर अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनां 22.02.2018 अपास्त किया जावें। अपने कथन की समर्थन में अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 14.09.2009 पेज 560 पेश किया।

**राजकीय परोकार द्वारा अपील संख्या 10/2022 (अपीलार्थी तहसीलदार, गोगुन्दा की ओर से) एवं 34/2021 के क्रम में बहस में प्रस्तुत किया कि** श्री फिरोज खान ने एक वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय समक्ष राजस्व ग्राम गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर की आराजी संख्या 1895 रकबा 0.4700 हैक्टेयर भूमि में से 0.0450 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया तथा इसके संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा भी चाही गई। उक्त भूमि आराजी संख्या 1895 रकबा 0.4700 है. सड़क की भूमि है तथा राजस्व रेकॉर्ड में भी यह आराजी किस्म भूमि सड़क दर्ज है तथा यह भूमि सड़क के काम आ रही है। दौराने वाद श्री फिरोज द्वारा एक प्रार्थना पत्र 6 नियम 17 का अधीनस्थ न्यायालय के यहा पेश कर निवेदन किया कि कथित वाद को धारा-136 एलआर एक्ट के प्रार्थना पत्र के रूप में संशोधित किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें जबकि ऐसा संशोधन नहीं हो सकता है क्योंकि मूल राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का मामला है तथा उसे लैंड रेवेन्यु एक्ट के मामलों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत किए गए वाद को विद्धो करने के बाद ही लैंड रेवेन्यु एक्ट के तहत अलग प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है, यह वाद धारा-88 व 188 के तहत ही दो माह का नोटिस दिया जाकर नोटिस का समय समाप्त हो जाने के बाद ही पेश किया जा सकता है। श्री फिरोज की 19 बिस्वा भूमि नेशनल हाईवे रोड़ के लिए अवाप्त हो चुकी है तथा उसकी जमीन में कोई कमी नहीं आई है तथा उसकी जमीन अन्य आराजीयात में गयी है यह प्रार्थी को साबित करना होता है क्योंकि सड़क का रकबा साबिक सेटलमेंट के मुकाबले हाल सेटलमेंट में नहीं बढ़ा है। पूरी जमीन किस्म जमीन सड़क होकर सड़के काम आ रही है। सड़क की जमीन को सार्वजनिक उपयोग की है, किसी व्यक्ति विशेष के खाते नहीं की जा सकती है तथा इस मामले में प्रतिवादी को ओर से कोई जवाब दावा भी पेश नहीं हुआ है तथा सहवन से बिना जवाब दावे के ही पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सड़क की जमीन रेस्पोंडेंट के खाते दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया जो बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है क्योंकि आराजी संख्या 1417 की जमीन अवाप्त हो चुकी है तथा यह कहना गलत है कि उसकी जमीन सड़क में चली गई हो जबकि पूरी जमीन सड़क के ही काम आ रही है व सड़क की जमीन में से 0.0450 है. जमीन

सड़क के खाते से हटाकर फिरोज के नाम किसी भी सुरत में नहीं जा सकती है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा जो शुद्धी के आदेश दिये, वह न तो ऐसी मिस्टेक है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, न ही बहस में दोनों पक्षों ने किसी गलती को स्वीकार ही किया है, ऐसी स्थिति में धारा-136 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस मामले में फिरोज खान द्वारा पेन्टोग्राफ पेश नहीं किया गया, न अवाप्ति का आदेश पेश किया गया, यह तक कि स्वयं के बयान नहीं कराये गये, बिना बयान के कयासी आधार पर अवेधानिक आदेश पारित कर दिया। आराजी नम्बर 1895 रकबा 0.4700 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सड़क के रूप में दर्ज होकर सड़क के काम में ही आ रही थी और सड़क व सार्वजनिक उपयोग में आ रही भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा-16 के तहत दिये ही नहीं जा सकते हैं। सड़क पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता है। आर.आर.टी. 2015 पेज 10 पर तय किया गया है कि दावों को प्रार्थना पत्र में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है फिर भी जो कार्यवाही की गई वह बिना अधिकार के होकर बोर्ड है, और ऐसे आदेश पर मयाद के बिन्दु लागू नहीं होते हैं, जैसाकि आरआरडी 1992 पेज 17, 239, 337, आरआरडी 1976 पेज 505, आरआरडी 1993 पेज 411 में तय किया गया है। न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ वह उपशमन किया जाना आवश्यक है। अंत में राजकीय पेट्रोकार द्वारा निवेदन किया गया कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 को निरस्त किया जाकर कथित जमीन को पुनः सड़क के रूप में बिलानाम सरकार किस्म सड़क दर्ज कराई जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

**विद्वान वकील प्रत्यर्थी (फिरोज खान) द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रार्थना पत्र धारा-96 जादी पर अपना लिखित जवाब/लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया है कि न्यायालय द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया के अधीन वाद पत्र को संशोधित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया गया क्योंकि निर्णय गलत इन्द्राज को लेकर किया गया है क्योंकि रेस्पोंडेंट के स्वामित्व की भूमि को गलत तरिके से राजस्व रेकॉर्ड के कम कर अन्य आराजीयात में मिला लिया गया जो जरिये दुरस्ती ही संशोधित किया जाना न्यायिक रूप से उचित था, जिससे न्यायालय द्वारा उक्त प्रक्रिया के अधीन निर्णय पारित किया गया। जो वस्तुस्थिति राजस्व रेकॉर्ड एवं भौतिक रूप से मौके पर थी, उसके अनुरूप हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार के आदेश से मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई, जो पूर्णतया राजस्व रेकॉर्ड के अनुरूप है। प्रत्यर्थी-1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा गोगुन्दा पटवार क्षेत्र गोगुन्दा में स्थित है, जिसके साबिक आराजी नम्बर 1417 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा था, जिसके नये नम्बर 1890, 1893, 1894, 1895 कुल रकबा 0.5500 हैक्टेयर भूमि प्रत्यर्थी-1 के परिवार की थी व हाल आराजी नम्बर 1890 में 0.0700 हैक्टेयर भूमि अधिक जोड़ दी गई जो पास के आराजी नम्बर 1889 के भू-भाग में से 1890 में मिला दिया जो भू-प्रबन्धक विभाग की गलती व लापरवाही से 1889 के रकबे में से 0.0700 हैक्टेयर भूमि आराजी नम्बर 1890 में मिला दिये जाने से वास्तविक रकबे 0.1800 हैक्टेयर की बजाय 0.2500 हैक्टेयर हो गया है, जो भू-प्रबन्ध विभाग की गलती से हुआ है, जिससे आराजी नम्बर 1895 में से बनने वाला रकबा उसके खाते नहीं किया। इसलिए साबिक आराजी नम्बर 1417 का कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा परिवर्तन रकबा 0.5500**

हैक्टेयर बनता है, उसकी तुलना में प्रत्यर्थी-1 के खाते आराजी नम्बर 1890 रकबा 0.1800, 1893 रकबा 0.1200, 1894 रकबा 0.0150 व 1895 रकबा 0.1900 हैक्टेयर रोड़ में अवाप्त कुल रकबा 0.5050 हैक्टेयर भूमि ही दर्ज हुई, जिससे उक्त आराजी नम्बर में से 0.0450 हैक्टेयर भूमि उसके नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी-1 के भौतिक रूप से भी उक्त रकबे 0.0450 हैक्टेयर भूमि पर उसका निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। आराजी नम्बर 1895 रकबा 0.4700 हैक्टेयर भूमि में प्रत्यर्थी-1 के आराजी भूमि का रकबा 0.1900 हैक्टेयर अवाप्त के बजाय रकबा 0.2350 हैक्टेयर शामिल कर दिया, जिससे अधिक किये गये अवाप्त रकबा 0.0450 हैक्टेयर भूमि प्रत्यर्थी-1 के नाम अंकित कराये जाने आवश्यक होने से अधीनस्थ न्यायालय समक्ष चाराजोही की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित करते हुए इन्द्राज दुरस्ती के आदेश दिये। अधीनस्थ न्यायालय में जो न्यायिक कार्यवाही की गई, उसमें आवश्यक पक्षकार राज्य सरकार थी क्योंकि रेस्पोंडेंट के साबिक स्वामित्व की भूमि को राजस्व कर्मचारियों द्वारा साबिक रकबे के अनुरूप कम दर्ज किया गया जिसे दुरुस्त करने हेतु आवश्यक पक्षकार भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार होने से नियमानुसार कार्यवाही संपादित की गई। प्रत्यर्थी-1 का अपने स्वामित्व की भूमि पर कब्जा एवं स्वामित्व है। चूंकि जो भूमि 0.0450 है। भूमि रेस्पोंडेंट के स्वामित्व में इन्द्राज की गई, वह भूमि कभी भी सड़क के रूप में उपयोग नहीं रही है, न ही सड़क का कहीं अस्तित्व रहा है, न पहले था, न वर्तमान में है चूंकि रेस्पोंडेंट का स्वामित्व पूर्व में था। अपीलार्थी ने अपने निजी हित एवं स्वार्थ हेतु अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ते हेतु रेस्पोंडेंट की भूमि से अवैध रास्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त अपील प्रस्तुत की है चूंकि अपीलार्थी का कोई रास्ता रेस्पोंडेंट की भूमि से नहीं है तो कोई अधिकार अपीलार्थी को प्राप्त नहीं होता है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-96 जादी स्वीकार योग्य नहीं है। प्रस्तुत दोनों अपील मयाद बाधित है, जो इस बिन्दु पर भी खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष तहसीलदार पक्षकार था, जिसे अपीलाधीन आदेश की ससमय जानकारी थी, ऐसे में उसके द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है। इसी प्रकार उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे। श्री फिरोज खान की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस/प्रारम्भिक आपत्तियों के साथ साबिक आराजी संख्या 1418 के संबंध में किये गये पत्राचार की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई।

**हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की विद्वतापूर्ण मौखिक एवं लिखित बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन एवं परिशीलन किया।**

हम सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी पर विवेचन किया जाना उचित समझते हैं क्योंकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रत्यर्थी फिरोज खान द्वारा आपत्ति जाहिर की। अपीलार्थी श्री सोहनलाल व अन्य द्वारा उजर प्रस्तुत किया कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 के हक में जो भूमि दर्ज करने का आदेश दिया गया है, वह अपीलार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 1896, 1897, 1898, 1899, 1912 के बिल्कुल सटमा स्थित है और रेस्पोंडेंट संख्या 1 को उक्त भूमि दे

दिये जाने से अपीलार्थी का अपनी भूमि से सड़क पर आने जाने का जो रास्ता है, वह भी समाप्त हो रहा है। उक्त निर्णय से अपीलार्थी के हक व हित प्रभावित हो रहे हैं, जिससे अपीलार्थी द्वारा आलौच्य निर्णय की अपील न्यायालय आप में प्रस्तुत करना आवश्यक होने से प्रश्नगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-96 जादी के प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 1896, 1897, 1898, 1899, 1912 के बिल्कुल सटमा स्थित होने से कथित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने से यह न्यायालय पाता है कि अपीलार्थी हितबद्ध पक्षकार है, जिसे अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है, ऐसे में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। उक्त आदेश अपीलार्थीगण श्री सोहनलाल व अन्य के परोक्ष पारित किया जिससे उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार दुसरी अपील तहसीलदार, गोगुन्दा द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई उसके साथ धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें वर्णित कारण उल्लेखित न्यायिक निर्णय के आलोक में यह न्यायालय संतोषप्रद पाता है। अतः प्रस्तुत अपीलें अन्दर मयाद शुमार की जाकर निम्नानुसार गुणावगुण पर निस्तारित की जा रही है।

पत्रवाली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वर्तमान अपीलों के प्रत्यर्थी-1 फिरोज खान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा-88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रस्तुत कर कथन किया कि “वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा गोगुन्दा पटवार क्षेत्र गोगुन्दा भू-अभिलेख क्षेत्र गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा में आई हुई स्थित है, जिसके साबिक आराजी नम्बर 1417 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा था, जिसके नये नम्बर 1890, 1893, 1894, 1895 कुल रकबा 0.5500 हैक्टेयर भूमि वादी के परिवार की थी व हाल आराजी नम्बर 1890 में 0.0700 हैक्टेयर भूमि अधिक जोड़ दी गई जो पास के आराजी नम्बर 1889 के भू-भाग में से 1890 में मिला दिया जो भू-प्रबन्धक विभाग की गलती व लापरवाही से 1889 के रकबे में से 0.0700 हैक्टेयर भूमि आराजी नम्बर 1890 में मिला दी गई जिससे आराजी नम्बर 1890 का वास्तिक रकबा 0.1800 हैक्टेयर था परन्तु 0.0700 हैक्टेयर भूमि 1889 में मिलाने से आराजी नम्बर 1890 का रकबा 0.2500 हैक्टर हो गया जो भू-प्रबन्धक विभाग की गलती से हुआ है जिससे आराजी नम्बर 1895 में से बने वाला रकबा वादी के खाते नहीं किया गया इसलिए साबिक आराजी नम्बर 1417 का कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा का परिवर्तन रकबा 0.5500 हैक्टर बनता है उसके तुलना में वादी के खाते आराजी नंबर 1890 रकबा 0.1800 आराजी नम्बर 1893 रकबा 0.1200 हैक्टर व आराजी नंबर 1894 रकबा 0.0150 हैक्टर व आराजी नम्बर 1895 रकबा 0.1900 हैक्टर रोड़ में अवाप्त कुल रकबा 0.5050 हैक्टर भूमि ही दर्ज हुई जिससे उक्त आराजी नम्बर में से 0.450 हैक्टर भूमि वादी के नाम दर्ज कराने की घोषणा फरमाई जावे।

आराजी नम्बर 1895 सड़क का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में रकबा 0.4700 हैक्टर दर्ज है जिसमें वादी का 0.2350 हैक्टर शामिल है जबकि सड़क अवाप्ति के अनुसार साढ़े सतरा बिस्वा परिवर्तित रकबा 0.1900 हैक्टर भूमि ही अवाप्त की थी व शेष रकबा 0.0450 हैक्टर भूमि वादी की अधिक अवाप्त कर सड़क के आराजी नंबर 1895 के रकबे में शामिल कर दिया गया जबकि

भौतिक रूप से भी मौके पर 0.0450 हैक्टर भूमि सड़क का भाग नहीं है व 0.0450 हैक्टर भूमि पर वादी काबिज होकर वादी द्वारा निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग किया जा रहा है जिससे उक्त आराजी भूमि में से 0.0450 हैक्टर भूमि वादी के नाम दर्ज करने की घोषणा फरमाई जावे।”

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपटित धारा 151 सिप्रसं मय प्रार्थना पत्र धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 किया। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपटित धारा 151 सिप्रसं को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया, जिसके अनुसरण में प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रार्थना पत्र धारा-136 में वर्णित वांछित अनुतोष के अवलोकन से यह पाया गया कि श्री फिरोज खान द्वारा वही तथ्य प्रस्तुत कर 0.0450 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज कराने जाने की घोषणा कराने का अनुरोध किया। पत्रावलियों के अवलोकन एवं वर्तमान अपील के अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वांछित अनुतोष मूलतः धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिया जाना था परन्तु वांछित अनुतोष धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रदान कर दिया गया, जो प्रथम दृष्टया विधिक प्रतीत नहीं होता है।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि क्या वर्तमान मामलों में उपखण्ड अधिकारी को क्षेत्राधिकार प्राप्त था या नहीं, इस मामले में धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के वर्तमान प्रावधान का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि धारा 136 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी को लिपिकीय त्रुटि या ऐसी त्रुटि को राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करने का अधिकार है, जहां पक्षकार त्रुटि होना स्वीकार करते हो। वर्तमान प्रकरण में श्री फिरोज द्वारा मूलतः वाद प्रस्तुत कर पुनः प्रार्थना पत्र 136 द्वारा जो दुरुस्ती चाही गई कि वह सड़क के रूप में जो भूमि अवाप्त की गई है, उसकी खातेदारी हटाकर उसके नाम दर्ज की जावे। ऐसी प्रार्थना लिपिकीय त्रुटि के संशोधन की प्रार्थना नहीं कही जा सकती है। यह ऐसी प्रार्थना भी नहीं है जिसे दोनों पक्षकार लिपिकीय त्रुटि के रूप में होना स्वीकार करते हो। ऐसी दशा में प्रार्थना पत्र पर विचार करने का कोई अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं है एवं ऐसी दुरुस्ती केवल विधिवत दावा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करके ही की जा सकती है।

प्रकरण में यह न्यायालय सवप्रथम राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (12) राज 16/92/26 दिनांक 20-12-1995, जो मूलतः धारा 136, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 से जुड़ा है, व समस्त संभागीय आयुक्तगण एवं जिला कलक्टर को संबोधित है, को यहां उल्लेखित किया जाना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है :-

“विषय: राजस्थान भू राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 में हितार्थ उद्देश्य।

प्रेषित

समस्त संभागीय आयुक्तगण

समस्त जिला कलक्टर

राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1955 (सुविधा हेतु जिनको संलग्न की जा रही है) दिनांक 22.11.95 को लागू हो गया है।

भू प्रबन्ध के दौरान भूप्रबन्ध कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा धारा 123 व 125 की आड में कब्जे के आधार पर खातेदारी भूमि को सिवायचक/चारागाह या इसके विपरित सिवायचक चारागाह को खातेदारी में अंकित कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में अनियमितताएं हुई हैं, जिनसे अनावश्यक मुकदमेंबाजी भी बढ़ी है और कब्जे के आधार पर ऐसे विवाद भी निर्णित कर दिये जाते थे, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। इस संशोधन के द्वारा धारा 122 को संशोधित किया गया, धारा 123 व 125 को विलोपित किया गया था और धारा 136 को प्रतिस्थापित किया गया। इस संशोधन के पीछे मूल भावना यह थी कि उपरोक्त प्रकार की गलतियों पर अंकुश लग सके तथा समरी ट्रायल से उपरोक्त गलतियों को ठीक किया जा सकें।

उपरोक्त संशोधन के पश्चात् निम्न प्रकार स्थिति बनती है-

1. भूप्रबन्ध कार्यवाही बंद के पश्चात जो मामलें भूप्रबन्ध अधिकारी के पास अनिर्णित रह जाते हैं, वे भू अभिलेख अधिकारी (एसडीओ) को हस्तान्तरित कर दिये जाते हैं। ऐसे मामलें भू अभिलेख अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार निर्णित किये जायेंगे।
2. भूप्रबन्ध के दौरान जो लिपिकिय एवं अन्य गलतियां भूप्रबन्ध कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा की गईं, उनका निर्धारित रीति द्वारा भू अभिलेख शुद्धिकरण कर सकेगा या करा सकेगा बशर्ते कि हितबद्ध पक्षकार ऐसी गलतियों का भूअभिलेख या रजिस्टर में किया जाना स्वीकार करें।
3. यदि किसी राजस्व अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान उपरोक्त प्रकार की गलतियां नोटिस की जाती हैं, तो उन्हें एसडीओं को भेजेंगे। पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने हेतु नोटिस देकर तथा सुनवाई का अवसर प्रदान कर गलती के शुद्धिकरण हेतु भू अभिलेख अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करेगा।
4. सभी जिला कलक्टर भू अभिलेख अधिकारी हैं तथा राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(183)रेव/बी/56 दिनांक 17.9.56 द्वारा ये शक्तियां उपखण्ड अधिकारी को दी गई हैं। यह अधिसूचना आज भी प्रभावी है। अतः वर्तमान में सभी उपखण्ड अधिकारियों के पास भू अभिलेख अधिकारी की शक्तियां हैं। उपखण्ड अधिकारी के नीचे का कोई अधिकारी उपरोक्त प्रकार की गलतियों के शुद्धिकरण के लिए सक्षम नहीं है।
5. भूप्रबन्ध के दौरान यदि बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के किसी की खातेदारी अथवा गैर खातेदारी की कृषि भूमि को चारागाह/सिवायचक/राजकीय भूमि दर्ज कर दिया गया है तो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत भू अभिलेख अधिकारी द्वारा ठीक किया जा सकेगा या ठीक कराया जा सकेगा।
6. यदि किसी सिवायचक या राजकीय भूमि को किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी अथवा गैर खातेदारी में बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज कर दिया गया है तो ऐसी गलतियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम को संशोधित धारा 136 के

अन्तर्गत भू अभिलेख अधिकारी द्वारा ठीक किया जा सकेगा या ठीक कराया जा सकेगा।

7. भूप्रबन्ध कार्यवाही बन्द होने के बाद भू-अभिलेख संधारण का दायित्व भू-अभिलेख अधिकारी का है और इस दौरान भी यदि उपरोक्त प्रकार की गलतियां होती है तो मद संख्या (3) के अनुसार उनके शुद्धिकरण के अधिकार भी भू अभिलेख अधिकारी को होंगे।
8. किसी भी प्रकार की गलती के सुधार के पहले प्रभावित पक्षकारों को नोटिस दिया जाना तथा सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना आवश्यक होगा। जहां आवश्यक ही लेण्ड होल्डर (तहसीलदार) को भी राज्य हित की सुरक्षा के लिए पक्षकार बनाना होगा।
9. भूप्रबन्ध के दौरान हुई गलतियों का सुधार उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया से खातेदारी अधिकारों को प्रभावित करते हुए किया जा सकेगा लेकिन धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, ऐसे परिवर्तनों के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अदालत में वाद दायर करना होगा।
10. धारा 136 के तहत किसी को कोई नये खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकेंगे बल्कि रेकार्ड के आधार पर जो अधिकार निहित थे और सही एवं वास्तविक स्थिति थी, उनके अनुसार ही गलतियों को संशोधित कर सही कर सकेगा।

उपरोक्त प्रकार की गलतियां या तो अधिकारी के स्वयं ध्यान में आ सकती है अथवा किसी अन्य व्यक्ति/कर्मचारी/अधिकारी द्वारा ध्यान में लाई जा सकती है अथवा पक्षकारों द्वारा लाई जा सकती है। कृपया राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक में उपरोक्त बिन्दुओं को निर्धारित प्रक्रिया पर विचार विमर्श करें और यह स्पष्ट कर दें। समरी ट्रायल से गलतियों का सुधार नियमित वाद का विकल्प नहीं है, समय की व्यवस्था गलतियों के सुधार के लिए की गई, जहां परस्पर खातेदारी का बिना वहां सक्षम न्यायालयों से ही निर्णित कराना होगा।

प्रमुख शासन सचिव”

उक्त परिपत्र से यह स्पष्ट है कि भूप्रबन्ध के दौरान हुई गलतियों का सुधार उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया से खातेदारी अधिकारों को प्रभावित करते हुए किया जा सकेगा लेकिन धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, ऐसे परिवर्तनों के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अदालत में वाद दायर करना होगा। हस्तगत प्रकरण में मुल अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया जिसे प्रार्थना पत्र धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की समरी कार्यवाही में परिवर्तित किया गया जो उक्त परिपत्र के आलोक में स्वीकार्य नहीं है। आराजी नम्बर 1895 रकबा 0.4700 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में सड़क के रूप में दर्ज होकर सड़क के काम में ही आ रही थी और सड़क व सार्वजनिक उपयोग में आ रही भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारी राजस्थान

टिनेन्सी एक्ट की धारा-16 के तहत दिये ही नहीं जा सकते हैं। सड़क पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता है। विवादित भूमि अवाप्त की जा चुकी है और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 1895 जो की मौके पर सड़क है जिसका रकबा रेकॉर्ड में 0.4700 हैक्टेयर दर्ज है, उक्त रकबे के संबंध में सड़क का अवाप्त रकबा श्री फिरोज के रकबे के साथ ही अन्य खातेदारों के आराजी नम्बर का रकबा भी शामिल है, परन्तु पटवारी रिपोर्ट में अन्य खातेदारों के नाम उल्लेखित नहीं किये, जबकि तहसीलदार, गोगुन्दा के अनुसार यह प्रस्तुत किया गया कि साबिक सड़क का 0.4500 हैक्टेयर ही बनता है, ऐसे में इंच मात्र जमीन भी श्री फिरोज की सड़क में अधिक दर्ज नहीं हुई है। उक्त स्थिति में यह न्यायालय पाता है कि वांछित अनुतोष विस्तृत जांच, साक्ष्य इत्यादि का विषय था जिसके क्रम में मूलतः वाद प्रस्तुत किया जिसे समरी ट्रायल जैसे कि धारा-136 की कार्यवाही में परिवर्तित कर दिया, जो बिना अधिकारी है।

**सुल्तानसिंह विरूद्ध अधराम और अन्य (174)-2009 आरआरडी 560** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुतोष को धारा 136 के अन्तर्गत प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उक्त नजीर के प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नानुसार है-

Rajasthan land Reveue Act, section 136 – Appeal against order of the Divisional Commissioner – Held, applicant/respondant filed application u/s. 136, L.R. Act for correction of entries – Asstt. Collector changed the share of applicants from 4/5 to 5/6 and reduced the share of appellant – non petitioner from 1/5 to 1/6 with issuing notice and without hearing him – Order of Asstt. Collector, illegal and nullity in the eye of law – Looking to the illegality, delay condoned and case is decided on merits – The Land Record Officer has usurped the powers of Revenue Courts of Asstt. Collector – Relief of section 88, R.T. has been given u/s. 136, L.R. Act – Looking to the balant and glaring illegalities and unlawfulness, powers of general superintendence and control is excercised contained in section 9, L.R. Act and section 221, R.T. Act – orders of both the subordinate courts of land records officer (Asstt. Collector) and Divisional Commissioner, quashed – Parties are free to agitate their claim of declaration of khatedari rights as per relevant provisions of the Act of 1955 in the competent revenue court of jurisdiction.

उपरोक्त विवेचन, परिपत्र, विधिक स्थिति एवं न्यायिक दृष्टांत के आलोक में यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुतोष को धारा 136 के अन्तर्गत प्रदान किया जो अविधिक है। वांछित अनुतोष विस्तृत जांच, साक्ष्य इत्यादि का विषय था जिसे समरी ट्रायल की धारा-136 की कार्यवाही में प्रदान कर दिया गया, जो नहीं किया जाना था। साथ ही विवादित भूमि सड़क होकर उस पर धारा-16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते, फिर भी समरी ट्रायल की कार्यवाही में खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित होने वाले समस्त खातेदारों को सूचित किया, न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया, जो सुलभ न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2018 को समर्थन करना उचित नहीं समझता है। हस्तगत प्रकरण पुनः अधीनस्थ

न्यायालय इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वह मूल वाद धारा-88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पुनः दर्ज कर सभी प्रभावित पक्षकारों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप नये सिरे से निर्णय पारित करें।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार प्रस्तुत अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2018 निरस्त किया जाता है। हस्तगत प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मूल वाद धारा-88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पुनः दर्ज कर सभी प्रभावित पक्षकारों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप इस निर्णय के किये गये उपरोक्त विवेचन के दृष्टिगत नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ प्रेषित की जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय सुनाया गया।

( राजेन्द्र भट्ट )  
संभागीय आयुक्त, उदयपुर